FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 251 / 2021 अन्तर्गत धारा 212 RT ACt

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम सन्तोष देवी पत्नी डुंगरमल व अन्य शेष जमाबंदी**

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.21	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 418 किता 1 कुल रकबा 2.15 है0, वाके ग्राम सेहीकला को **किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड** की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज जिन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 01.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/3/22	आज पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उपस्थित । पत्रावली गत आदेशानु दिनांक 16/03/22 को पेश हो। रीडर
16/03/22	आज पत्रावली पेश हुई । वकुलाय फरिकैन उपस्थित । पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 24-03-22 को पेश हो । रीडर
24/03/22	आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन कार्य स्थगन पर। मिशल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 08-04-22 को पेश हो। रीडर
08/04/22	वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 08/06/22 को पेश हो। रीडर
08/06/22	वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 29/08/22 को पेश हो। रीडर
01-07-22	आज यह पत्रावली मूल दावा में मिसल तलबी की जा॰ पेश होने पर दावा के साथ पेश हुई। मूल दावा खारिज किया जा चुका है इसलिए अब इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दावा के शामिल रहे। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़